

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति की दिनांक 22.12.2020 को विश्वविद्यालय के सर जे0सी0 बोस सभागार में प्रातः 10.30 बजे सम्पन्न हुई 2020/5 (इक्कीसवीं) बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. प्रो० श्री जे०पी० पाण्डेय
कुलपति,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।अध्यक्ष
2. श्री कृपाशंकर सिंह,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।सदस्य
3. श्री महेन्द्र कुमार मिश्र, अपर निदेशक कोषागार
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।सदस्य
4. प्रो० राकेश कुमार,
अधिष्ठाता छात्र मामले,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।सदस्य
5. डा० जीऊत सिंह,
कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।सदस्य
6. प्रो० डी०के० द्विवेदी,
अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।विशेष आमंत्रित सदस्य
7. प्रो० गोविन्द पाण्डेय,
अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।विशेष आमंत्रित सदस्य
8. प्रो० उमेश चन्द जायसवाल,
अधिष्ठाता संकाय मामले,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।विशेष आमंत्रित सदस्य

 F.C.

9. प्रो० एस०के० सोनी,
अधिष्ठाता शोध एवं परामर्श,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर। विशेष आमंत्रित सदस्य
10. प्रो० एस०के० श्रीवास्तव,
अधिष्ठाता, एल्यूमनाई एवं वाह्य मामले
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर। विशेष आमंत्रित सदस्य
11. श्री अमर सिंह,
वित्त नियंत्रक,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर। सदस्य/सचिव

वित्त समिति की इक्कीसवीं बैठक की कार्यवृत्त निम्नवत् है।

- 21-01 वित्त समिति की दिनांक 20.07.2020 को सम्पन्न हुई 2020/4 (बीसवीं) बैठक की कार्यवृत्ति के पुष्टि का प्रस्ताव।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की बीसवीं बैठक की कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित की गई थी, जिस पर मा० सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः समिति द्वारा प्रस्तुत विवरण के अवलोकनोपरान्त वित्त समिति की बीसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

- 21-02 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 2020/4(बीसवीं) बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वित विवरण।

समिति द्वारा वित्त समिति की बीसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण का अवलोकन करते हुए पूर्व के स्वीकृति प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गयी।

- 21-03 विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 30.11.2020 तक के वास्तविक व्यय का व्यौरा एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित बजट के प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय के बजट एवं आय का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 30.11.2020 तक के वास्तविक व्यय का व्यौरा एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित बजट के प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय के बजट एवं आय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

 F.C.

21-04 यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में रिसर्च एवं डबलमेन्ट हेतु सॉफ्टवेयर क़य किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में रिसर्च एवं डबलमेन्ट हेतु सॉफ्टवेयर क़य किये जाने के प्रस्ताव पर रु. 50.50 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार क़य की प्रक्रिया के अनुसार धनराशि के व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

21-05 भौतिकी एवं प्रदार्थ विज्ञान विभाग के प्रयोगशालाओं हेतु विद्युत के नये वायरिंग एवं प्रयोगशालाओं में नये अन्य उपकरण के क़य का प्रस्ताव।

समिति द्वारा भौतिकी एवं प्रदार्थ विज्ञान विभाग के प्रयोगशालाओं हेतु विद्युत के नये वायरिंग एवं प्रयोगशालाओं में नये अन्य उपकरणों के क़य किये जाने के प्रस्ताव पर रु. 8.60 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार क़य की प्रक्रिया के अनुसार धनराशि के व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

21-06 29 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की 28वीं बैठक में मद संख्या-2020/4.13 के अन्तर्गत अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को प्रबंध बोर्ड में लिये गये निर्णय के सापेक्ष वित्त समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव।

(क) कोविड-19 के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2019-20 के सम सेनेस्टर के (User Charge-s) को उपयोग के Pro-rata आधार पर वापस किये जाने एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के विषम सेमेस्टर हेतु अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) Pro-rata के आधार पर लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसमें समिति द्वारा मा0 कुलपति महोदय को इस प्रकरण में यथोचित निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

(ख) विद्या परिषद तथा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा समर टर्म में अध्यापन हेतु शिक्षकों को निर्गत किये जाने वाले पारिश्रमिक की दरों का, समर टर्म-2020 में आनलाइन माध्यम से संचालित हो रही आनलाइन कक्षाओं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मितव्ययिता से संबंधित आदेश के दृष्टिगत पुनरावलोकन के क्रम में पूर्व के पारिश्रमिक को संशोधित करते हुए Registered students in a subject Up to 5 Rs.7500.00, More than 5 Rs. 15000.00 किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ग) कोविड-19 के दृष्टिगत आनलाईन परीक्षा हेतु वाह्य शिक्षकों के साथ-साथ आन्तरिक शिक्षकों को भी पारिश्रमिक दिये जाने का प्रस्ताव माह अगस्त, 2020 में सम्पन्न हुयी बी.टेक.चतुर्थ वर्ष के छात्रों की आनलाइन परीक्षा में वाह्य परीक्षक को पूर्व में एम.टेक. की आनलाइन परीक्षा के लिए निर्धारित दरों के आधार पर भुगतान किये जाने की, दिनांक 28 जुलाई 2020 को सम्पन्न विद्या परिषद की 21 वीं बैठक (संलग्न-7) में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उक्त परीक्षा में वाह्य परीक्षक के साथ परीक्षा का संचालन कर रहे 02 आन्तरिक शिक्षकों हेतु वाह्य परीक्षक के बराबर पारिश्रमिक स्वीकृत करते हुए दोनो शिक्षकों में बराबर-बराबर भागों में वितरित किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

 F.C.

21-07 विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार (सी0ए0) मेसर्स गौरव जी अग्रवाल एण्ड कम्पनी द्वारा विश्वविद्यालय की वैलेन्ससीट एवं बैंक मिलान का कार्य त्रैमासिक आधार पर किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार (सी0ए0) मेसर्स गौरव जी अग्रवाल एण्ड कम्पनी द्वारा विश्वविद्यालय की वैलेन्ससीट एवं बैंक मिलान का कार्य त्रैमासिक आधार पर तुलनात्मक दरों के अनुसार न्यूनतम दर देने वाली फर्म मेसर्स गौरव जी अग्रवाल एण्ड कम्पनी को रु. 45000.00 प्रति त्रैमासिक की दर से कार्य कराये जाने पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार इस कार्य पर होने वाला व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

21-08 परीक्षा अनुभाग में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों को सुचारु रूप से संचालन के लिए सॉफ्टवेयर/ERP कय का प्रस्ताव।

समिति द्वारा परीक्षा अनुभाग में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों को सुचारु रूप से संचालन के लिए सॉफ्टवेयर/ERP शासन द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था से न्यूनतम के आधार पर कय करने हेतु रु. 15.00 लाख के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार कय की प्रक्रिया के तहत पं० दीन दयाल उपाध्यय योजना के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।


21-09 विद्युत अभियंत्रण विभाग में कंट्रोल एजुकेशन किट, पॉवरपैक डुअल कोर और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर कय किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विद्युत अभियंत्रण विभाग में कंट्रोल एजुकेशन किट, पॉवरपैक डुअल कोर और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर कय किये जाने पर रु. 17.5 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार कय की प्रक्रिया के तहत धनराशि के व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो/टेक्विप मद से व्यय का वहन किया जायेगा।

21-10 विश्वविद्यालय के भवन एवं कार्य समिति की दिनांक 19.09.2020 को सम्पन्न हुई अष्टम बैठक की कार्य वृत्ति के अनुमोदन का प्रस्ताव।

1. मद संख्या 8-06 विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों के चौड़ीकरण, उच्चीकरण एवं पाथवे का निर्माण कार्य की सूचना एवं अनुमोदन, उक्त कार्य की लागत रु. 250.00 लाख वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में स्वीकृति दी गयी है।
2. मद संख्या 8-07 विद्युत अभियंत्रण विभाग के विस्तार के निर्माण कार्य की सूचना एवं अनुमोदन, उक्त कार्य की लागत रु. 112.44 लाख वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में स्वीकृति दी गयी है।
3. मद संख्या 8-08 विद्युत कण एवं संचार विभाग विस्तार निर्माण कार्य सूचना एवं अनुमोदन, उक्त कार्य की लागत रु. 125.63 लाख वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में स्वीकृति दी गयी है।

 F.C.

4. मद संख्या 8-09 यांत्रिक अभियंत्रण विभाग विस्तार निर्माण कार्य की सूचना एवं अनुमोदन, उक्त कार्य की लागत रु. 162.33 लाख वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में स्वीकृति दी गयी है।
5. मद संख्या 8-10 अम्बेडकर भवन छात्रावास विस्तार निर्माण कार्य के प्रस्ताव/आगणन की सूचना एवं अनुमोदन, उक्त कार्य की लागत रु. 157.90 लाख वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में स्वीकृति दी गयी है।
6. मद संख्या 8-11 आईटीआरसी/आईटीसीए विभाग के विस्तार निर्माण कार्य के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन, उक्त कार्य की लागत रु. 154.28 लाख वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में स्वीकृति दी गयी है।

वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में क्र०सं० 01 से 06 तक के प्रस्तावों को अनुमोदन कर दिया गया था। भवन एवं कार्य समिति की दिनांक 19.09.2020 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए गये निर्णय के सापेक्ष पुनः वित्त समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया।

डी०डी०यू० क्यू०आई०पी० के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्य 180 क्षमता के पुरुष छात्रावास दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता एवं सुधार कार्यक्रम I Phase के अर्न्तगत कार्य के प्रस्ताव/आगणन रु. 700.00 लाख एवं विश्वविद्यालय के 14 अदद व्याखान कक्षों को स्मार्ट क्लास बनाये जाने के प्रस्ताव/आगणन रु. 194.95 लाख कुल रु. 894.95 लाख के अनुमोदन के साथ ए०के०टी०यू० द्वारा अब तक आवटित रु. 1000.00 लाख में से शेष रु. 105.05 लाख का विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में प्रयोगशालाओं हेतु उपकरण एवं साफ्टवेयर क्रय किये जाने की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

धन की उपलब्धता के आधार पर इस पर होने वाला व्यय ए०के०टी०यू० द्वारा जारी धनराशि से किया जायेगा।

भवन एवं कार्य समिति के कार्यवृत्ति के अनुमोदन का प्रस्ताव।

1. मद संख्या 8-14 पुराने छात्रावासों के विशेष अनुरक्षण कार्य के प्रस्ताव /आगणन रु. 430.27 लाख का अनुमोदन।
2. मद संख्या 8-15 विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के भवनों के विशेष अनुरक्षण कार्य के प्रस्ताव/आगणन रु. 728.85 लाख का अनुमोदन।
3. मद संख्या 8-16 विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के सामान्य अनुरक्षण कार्य हेतु सिविल एवं विद्युत भण्डार हेतु छः माह की आवश्यकता हेतु सामाग्रियों के क्रय का प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन।
4. मद संख्या 8-17 विश्वविद्यालय परिसर में एक अदद नया ओवरहेड टैंक मय ट्यूबवेल एवं पम्प हाउस तथा दो अदद सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये जाने के प्रस्ताव/आगणन रु. 175.03 लाख का अनुमोदन।

इस तरह मद संख्या 09 से लेकर 12 हेतु कुल रु. 1334.15 लाख का व्यय अनुमानित है।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार इस पर होने वाला व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

 FC.

- 21-11 वित्त समिति की 26 जून 2020 को उन्नीसवी बैठक में अनुमोदित मद संख्या 19-10 के 5 वॉ विन्दु में विश्वविद्यालय के परिसर की सड़को के चौडीकरण के निर्माण कार्य की लागत रु. 250.00 लाख से 10 प्रतिशत की वृद्धि सीमा तक रु. 275.00 लाख अधिकतम तक की स्वीकृति दिये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अतिरिक्त कार्य 10 प्रतिशत की वृद्धि रु. 25.00 लाख की वृद्धि के साथ कुल धनराशि रु. 275.00 लाख की सीमा तक कराये जाने के पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार इस पर होने वाले व्यय की धनराशि का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से किया जायेगा।

- 21-12 विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्र कल्याण निधि के गठन एवं छात्र कल्याण नियमावली सन 2020 के अनुमोदन का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्र कल्याण निधि के गठन एवं छात्र कल्याण नियमावली सन 2020 के गठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस पर होने वाले व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से किया जायेगा।

- 21-13 विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रभारी उद्यान, उद्यान सहायक, सदस्य सचिव सुरक्षा एवं सुरक्षा सहायक को मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रभारी उद्यान को रु. 3000.00, उद्यान सहायक को रु. 2000.00 एवं सदस्य सचिव सुरक्षा को रु. 3000.00, सुरक्षा सहायक को रु. 2000.00 प्रतिमाह मानदेय दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार इस पर होने वाला व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से किया जायेगा।

- 21-14 केन्द्रीय पुस्तकालय के Digital करण/Automation/RFID आदि का प्रस्ताव।

समिति द्वारा केन्द्रीय पुस्तकालय के Digital करण/Automation/RFID सुविधा उपलब्ध कराने हेतु होने वाला अनुमानित व्यय रु. 55.00 लाख पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार कय की प्रक्रिया के अर्न्तगत धनराशि के व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से किया जायेगा।

 F.C.

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

- 21-15 वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में सत्र 2020-21 आड सेमेस्टर की परीक्षा को बस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित प्रणाली के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव, जिस हेतु आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों को प्रश्न पत्र तैयार किये जाने हेतु रु. 30.00 प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

- 21-16 छात्र-छात्राओं को स्वच्छ व शीतल जल उपलब्ध कराये जाने हेतु पाच छात्रावासों में आर0ओ0 प्लान्ट लगवाये जाने का प्रस्ताव, जिसपर रु. 19.47 लाख का व्यय अनुमानित है।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार इस पर होने वाला व्यय की धनराशि के विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

- 21-17 विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत जनवरी 2021 (शैक्षणिक सत्र 2020-21) से नई योजना के अन्तर्गत Rsearch Scholar with Teaching Assistantship के साथ छात्रों को पी0एच0डी0 में प्रवेश दिये जाने तथा उन्हें अतिरिक्त प्रवक्ता के समतुल्य शैक्षणिक भार दिये जाने पर शासन द्वारा अनुमन्य दरों पर भुगतान किये जाने का प्रस्ताव।


समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर रु. 450.00 प्रति पिरिएड अधिकतम रु. 10000.00 भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार इस पर होने वाला व्यय की धनराशि के विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

- 21-18 विश्वविद्यालय परिसर में एस0टी0पी0 निर्माण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग एण्ड ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हेतु कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम गोरखपुर ने डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने, वाछित सर्वे, डिजाइन/ड्राइंग इत्यादि कार्य हेतु न्यूनतम रु. 250000.00 प्रथम किश्त के रुप में भुगतान करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 16.12.2020 के द्वारा दिया है। कार्य की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार इस पर होने वाला व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से किया जायेगा।


 F.C.


21-19 विश्वविद्यालय का गेस्ट हाउस लगभग 50 वर्ष पुराना है। अब यह विश्वविद्यालय की आवश्यकता एवं गरिमा के अनुरूप नहीं रह गया है। आवश्यकता के दृष्टिगत एक नया गेस्ट हाउस बनाये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार इस पर होने वाला व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से किया जायेगा।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुई।


(. अमर सिंह)
वित्त नियंत्रक
सदस्य/सचिव

अनुमोदित

(प्रो० जे०पी० पाण्डेय) 22.12.2020
कुलपति/अध्यक्ष